



2026:AHC: 176247

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5105 वर्ष 2026

मोईन

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : सुनील कुमार दुबे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 86

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार दुबे और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना गया।
2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता का अभिवेदन है कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण उस अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसका उल्लेख प्रार्थना खंड में किया गया है। पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में उल्लिखित अनुतोष नीचे वर्णित है:-

"इसलिए, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह, जिला सहारनपुर में बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत वाद संख्या 433 वर्ष 2025 (ताबिश बनाम मोईन) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 07.07.2026 को अपास्त करे, और या ऐसे अन्य और आगे के आदेश या निर्देश पारित करे, जो यह माननीय न्यायालय वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उचित और उपयुक्त समझे।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहारनपुर ने आदेश दिनांक 07.07.2026 के माध्यम से पुनरीक्षणवादी को आवेदन की तिथि अर्थात 25.02.2025 से अंतरिम भरण-पोषण के रूप में अपनी पत्नी/विपक्षी संख्या 2 को 5000/- रुपये प्रति माह और नाबालिग पुत्र/विपक्षी संख्या 3 को 4000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अंतरिम भरण-पोषण की राशि पुनरीक्षणवादी की आय के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभी तक पुनरीक्षणवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा 9000/- रुपये प्रति माह (पत्नी को 5000/- रुपये और नाबालिग पुत्र को 4000/- रुपये) की अंतरिम भरण-पोषण राशि प्रदान की गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षणवादी आदेश की तिथि से अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है और यदि विपक्षी संख्या 2 और 3 विचारण न्यायालय के समक्ष द.प्र.सं. की धारा 125/बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत लंबित आवेदन में सफल होते हैं, तो रजनीश बनाम नेहा और एक अन्य, (2021) 2 सर्वोच्च न्यायालय वाद 324 के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार आवेदन की तिथि से भरण-पोषण प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वह इस पुनरीक्षण पर गुण-दोष के आधार पर बल नहीं देना चाहते हैं और इसे संबंधित परिवार न्यायालय को द.प्र.सं. की धारा 125/बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत आवेदन को शीघ्रता से अंतिम रूप से न्यायनिर्णीत करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि न्याय के हित में आवेदन की तिथि अर्थात 25.02.2025 से भरण-पोषण राशि के बकाये को द.प्र.सं. की धारा 125/बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत लंबित आवेदन के अंतिम निस्तारण तक आस्थगित रखा जा सकता है। उन्होंने आगे यह वचन दिया कि यदि यह न्यायालय पुनरीक्षणवादी के पूर्वोक्त अनुरोध को स्वीकार करता है, तो पुनरीक्षणवादी आदेश की तिथि अर्थात 07.07.2026 से भरण-पोषण राशि के सभी देय/बकाये का भुगतान कर देगा और वह अपनी पत्नी और नाबालिग पुत्र को नियमित रूप से मासिक आधार पर अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान भी करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत और न्याय के हित में, विपक्षी संख्या 2 और 3 को नोटिस जारी किए बिना, आदेश दिनांक 07.07.2026 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि आवेदन की तिथि अर्थात् 25.02.2025 से 06.07.2026 तक की अंतरिम भरण-पोषण राशि का बकाया द.प्र.सं. की धारा 125/बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत लंबित आवेदन के अंतिम निर्णय तक स्थगित रहेगा। हालांकि, पुनरीक्षणवादी को आदेश की तिथि अर्थात् 10.07.2026 से भरण-पोषण राशि के सभी देय/बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है और वह अपनी पत्नी और नाबालिग पुत्र को नियमित रूप से मासिक आधार पर भरण-पोषण राशि का भुगतान करेगा।
5. यदि, पुनरीक्षणवादी पूर्वोक्त निर्देशों में से किसी का भी अनुपालन करने में विफल रहता है, तो प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहारनपुर, प्रचलित विधि के अनुसार आदेश दिनांक 07.07.2026 के संदर्भ में पुनरीक्षणवादी से भरण-पोषण राशि के बकाये की वसूली के लिए कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिजनौर को द.प्र.सं. की धारा 125/बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत लंबित आवेदन पर, **रजनीश बनाम नेहा और एक अन्य, (2021) 2 सर्वोच्च न्यायालय वाद 324** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, किसी भी अनावश्यक स्थगन को प्रदान किए बिना, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।
6. पूर्वोक्त निर्देशों के साथ, यह पुनरीक्षण **निस्तारित** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

20 अगस्त, 2026

मनीष हिमवान